



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937

No. 210]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना**

हैदराबाद, 2 जून, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015 फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/8/98/2015.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 तथा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32डी के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

विनियमों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) (क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे।
(ख) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

परिभाषाएँ

- (2) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--
(क) 'अधिनियम' से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
(ख) 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।
(ग) 'बीमाकर्ता' से प्राधिकरण के पास पंजीकृत और भारत में प्रत्यक्ष मोटर बीमा व्यवसाय के अंतर्गत जोखिम अंकन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त बीमा कंपनियाँ अभिप्रेत हैं।
(घ) 'मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय' में मोटर संविभाग में जारी की गई केवल देयता वाली पॉलिसियों एवं पैकेज पॉलिसियों, दोनों के संबंध में मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय निहित है।

- (ड) 'नया बीमाकर्ता' से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसने उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में दायित्व निर्धारित किये जाने हैं, के तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने व्यवसाय के परिचालन प्रारंभ किये हों।

दायित्व

(3) एक वित्तीय वर्ष (X) के लिए मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में दायित्व निम्नानुसार प्राप्त किया जाना चाहिए:

- (i) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सभी बीमाकर्ताओं के व्यवसाय की सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत कुल 'सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय' (जीडीपीआई) = A
- (ii) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सभी बीमाकर्ताओं के मोटर बीमा व्यवसाय के अंतर्गत कुल जीडीपीआई = B
- (iii) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में व्यवसाय की सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत बीमाकर्ता की जीडीपीआई = C
- (iv) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में मोटर बीमा व्यवसाय के अंतर्गत बीमाकर्ता की जीडीपीआई = D
- (v) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी बीमाकर्ताओं के मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के अंतर्गत कुल जीडीपीआई = E
- (vi) एक वित्तीय वर्ष में पूरा किया जानेवाला बीमाकर्ता का दायित्व

$$X = \left[\frac{C/A + D/B}{2} \right] \times E \times \frac{90}{100}$$

अपवाद

- (4) पहली बार मोटर बीमा का जोखिम-अंकन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त, मोटर बीमा व्यवसाय अंकित करने वाले नये बीमाकर्ता को पहले वर्ष, जिसमें उसके परिचालन प्रारंभ किये गये हों, को मिलाकर उसके परिचालनों के पहले दो वित्तीय वर्षों के दौरान दायित्व की अपेक्षा को लागू करने से छूट दी जाएगी।
- (5) ऐसे बीमाकर्ता को अन्य मौजूदा बीमाकर्ताओं के लिए न्यूनतम दायित्व की अपेक्षाएँ निर्धारित करने के लिए की जाने वाली गणनाओं से भी ऐसी अवधि के लिए छूट दी जाएगी जब तक न्यूनतम दायित्व की अपेक्षाएँ उस बीमाकर्ता पर लागू न हों।

प्रस्तुतीकरण

- (6) प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए अनुसूची-एमटीपी-ए के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तिमाही की समाप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची – एमटीपी – ए (मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय)

- (i) बीमाकर्ता का नाम:
- (ii) पंजीकरण संख्या और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख:
- (iii) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय:
- (iv) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सकल प्रत्यक्ष मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय प्रीमियम:

(v) विवरण की अवधि: _____ को समाप्त तिमाही

मदें	राशि (रुपये)	
	तिमाही के लिए	तिमाही तक
केवल देयता वाली पॉलिसियों के संबंध में सकल प्रत्यक्ष मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय प्रीमियम (L)		
पैकेज पॉलिसियों के संबंध में सकल प्रत्यक्ष मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय प्रीमियम (P)		
कुल सकल प्रत्यक्ष मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय प्रीमियम (L+P)		
कुल सकल प्रत्यक्ष मोटर निजी क्षति बीमा व्यवसाय प्रीमियम		
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय		

मोटर तृतीय पक्ष का जोखिम अंकन

(7) विनियम (3) में मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का न्यूनतम दायित्व निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद, कभी भी कोई बीमाकर्ता अपने कार्यालय (कार्यालयों) में आने वाली मोटर तृतीय पक्ष बीमा जोखिम की रक्षा से युक्त "केवल देयता" वाली मोटर पॉलिसी का जोखिम-अंकन करने से इनकार नहीं करेगा।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4//असाधारण/161/15(100)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 2nd June, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015

F. No. IRDAI/Reg/8/98/2015.—In exercise of the powers conferred by Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Section 32D of Insurance Act, 1938, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

Short Title and Commencement of the Regulations

- (1) (a) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015.
- (b) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

- (2) In these regulations, unless the context otherwise requires,:-

- (a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time;
- (b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
- (c) "Insurer" means the insurance companies registered with the Authority and licensed to underwrite direct motor insurance business in India.
- (d) "Motor Third Party Insurance Business" consists of the motor third party insurance business in respect of both, the liability only policies as well as the package policies issued in motor portfolio.
- (e) "New Insurer" means an insurer which has started its business operations during the immediate preceding financial year of the financial year for which obligations in respect of motor third party insurance business are to be fixed.

Obligations

- (3) The Obligation of an Insurer in respect to Motor Third Party insurance business for a Financial Year(X) should be arrived as below:
- (i) Total 'Gross Direct Premium Income(GDPI)' under all lines of business of all insurers in the immediate preceding financial year = A
- (ii) Total GDPI under motor insurance business of all insurers in the immediate preceding financial year = B
- (iii) Insurer's GDPI under all lines of business in the immediate preceding financial year = C
- (iv) Insurer's GDPI under motor insurance business in the immediate preceding financial year = D
- (v) Total GDPI under motor third party insurance business of all insurers during the immediate preceding financial year = E
- (vi) Obligation of the Insurer to be met in a financial year

$$X = \left(\frac{C/A + D/B}{2} \right) \times E \times \frac{90}{100}$$

Exceptions

- (4) The new insurer writing motor insurance business licensed to underwrite motor insurance for the first time shall be exempted from the application of the obligatory requirement during first two financial years of its operations including the financial year in which its operations are started.
- (5) Such insurer shall also be excluded from the calculations for determining the minimum obligatory requirements for other existing insurers for such period till which the minimum obligatory requirements are not applicable to that insurer.

Submissions

- (6) Every insurer shall submit the financial returns to the Authority for every quarter of the financial year within forty five days of the end of the quarter as per the Schedule – MTP –A

Schedule – MTP- A (Motor Third Party Insurance Business)

- (i) Name of the Insurer:
(ii) Registration No. and Date of Registration with the IRDAI:
(iii) Gross Direct Premium Income during immediate preceding FY:
(iv) Gross Direct Motor Third Party Insurance Business Premium during immediate preceding FY:
(v) Statement Period: Quarter ending _____

Items	Amount (Rs)	
	For the Quarter	Up to the Quarter
Gross Direct Motor Third Party Insurance Business Premium in respect of liability only policies (L)		
Gross Direct Motor Third Party Insurance Business Premium in respect of package policies (P)		
Total Gross Direct Motor Third Party Insurance Business Premium (L+P)		
Total Gross Direct Motor Own damage Insurance Business Premium		
Total Gross Direct Premium Income		

Underwriting of Motor Third Party Risk

- (7) The Regulation (3) stipulates the minimum obligation of an insurer in respect of motor third party insurance business. Notwithstanding this, at no instance any insurer shall refuse to underwrite the “liability only” motor policy covering motor third party insurance risk coming to its office (s).

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT.III/4/Ext./161/15(100)]